~~19.01.21~~

दिनांक 30.12.2020 को प्रार्थी की माता छोटी देवी की होने का कथन गलत है एवं अस्वीकार है। प्रार्थी एवं इसकी माता छोटी देवी बेईमानी पूर्वक अनुचित मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर इस आवेदन श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो काबिले खारीज है। बहस धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम सुनी गई। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी / प्रार्थी को विषय-वस्तु का ज्ञान वर्ष 2014 से था सुप्रीम कोर्ट की स्थापित व्यवस्था के अनुसार तकनीकी त्रुटि से किसी प्रार्थी / अपीलार्थी का हक अधिकार समाप्त नहीं होते तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी का हक-हिस्सा निहीत होना प्रतीत होता है अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 05 ~~भारती~~ भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act अन्दर म्याद माना जाकर सुनवाई योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय म्याद अधि. स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से जमा की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बदर (राज.)